संख्या-219/2019/494/35-3-2019-1(39) /2017

प्रेषक,

राम केवल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 31 मई, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-खीरी हेतु ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-खीरी की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू. 397.41लाख (रू. तीन करोड़ सत्तानवें लाख इक्तालीस हजार मात्र) की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-13/2018/41/35-3-2018-1(39)/2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। स्वीकृत कार्यो के सम्पादन के उपरान्त परियोजना पर वास्तविक रूप से व्यय की गई जी.एस.टी. की देय धनराशि रू. 47.68 लाख को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवमुक्त किये जाने एवं आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। जी.एस.टी. की इस धनराशि में केन्द्रांश रू. 28.61 लाख तथा राज्यांश रू.19.07 लाख की धनराशि सम्मिलित है। जी.एस.टी. की परियोजनावार धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि लाख रू. मे)

विकासखण्ड का नाम	**जनपद-खीरी परियोजना का नाम**		**वास्तविक रूप से व्यय की गई जी.एस.टी.की धनराशि जिसकी वित्तीय स्वीकृति 2019-20 में जारी किया जा रहा है।**		
	कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 जल निगम	आगणन के अनुसार स्वीकृत धनराशि	वास्तविक व्यय जी.एस.टी. की कुल धनराशि	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त जी.एस.टी. की धनराशि	राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त जी.एस.टी. की धनराशि
पलिया	ग्राम मझरा पश्चिम पाइप पेयजल परियोजना	194.29	23.31	13.99	9.32
निघासन	गंगानगर(जोन-2)ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना	203.12	24.37	14.62	9.75
	योग	397.41	47.68	28.61	19.07

1- संदर्भित नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-13/2018/41/35-3-2018-1)39/(2017 दिनांक 19 जनवरी, 2018की शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- जिलाधिकारी द्वारा जी0एस0टी की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से पाइप पेयजल योजना कार्य हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि के व्यय उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा ।

4- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-219/2019/494(1)/ 35-3-2019-1(39)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,उ0प्र 0शासन ।**
2- **प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन ।**
3- **मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।**
4- **महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र 0महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय)इलाहाबाद ।**
5- **निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
6- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
7- **अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।**
8- **कोषाधिकारी, खीरी ।**
9- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।**
10- **उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।**
11- **अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12- राज्य योजना आयोग-।

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।